अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।	
	वाद सं0- 434/11, धारा-145 द0प्र0सं0 213/12	
	सुदर्शन शर्मा बनाम देवलाल राम, वगैरह	
13/8/12	आ दे श	
	यह वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में खाता सं0- 28, प्लॉट सं0- $\frac{117}{152}$, रकबा- 13 डी0 में से $6\frac{1}{2}$ डी0 जानिब उत्तर तरफ चौहद्दी उ0- नन्द कुमार सिंह, द0- हाजा प्लॉट, पूरब- राजगोपाल सिंह एवं पश्चिम- रामाकान्त शर्मा मौजा- तोहसा, थाना- मेहन्दिया, जिला- अरवल की भूमि पर प्रारम्भ किया गया है ।	
	प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत खाता- प्लॉट की भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है तथा भूमि का डिमाण्ड प्रथम पक्ष के	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

-2-

पिता ~~के नाम~~ - लभापति सिंह के नाम से कायम है और बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जाता है जो उक्त भूमि बँटवारा के आधार पर पंचनामा से $\frac{1}{2}$ अंश अर्थात् $6\frac{1}{2}$ डी0 भूमि प्राप्त है ।

प्रथम पक्ष की ओर से दो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें एक स्वतंत्र गवाह एवं दुसरा स्वयं पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

प्रथम गवाह अपना परीक्षण ध्यान में कहते हैं कि रकबा-13 डी0 में प्रथम पक्ष को $6\frac{1}{2}$ डी0 भूमि हिस्सा में है । एवं उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का हीं कब्जा है। द्वितीय पक्ष का कभी दखल- कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी बेईमान, लैत एवं झगड़ालू हैं । दूसरा गवाह- स्वयं पक्षकार ने भी उक्त भूमि जीतयानी बताते

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	-3-	
	बताते हैं । एवं दखल- कब्जा भी स्वीकार करते हैं । विपक्षी के तनाव बनाये हुए हैं ।	
	प्रथम पक्ष द्वारा कागजी प्रमाण के रूप में वर्ष-2011-12 का मालगुजारी रसीद की छाया प्रति दाखिल किये हैं । जो प्रथम पक्ष के पिता- सभापति सिंह ,पिता- झलक सिंह के नाम से कायम है ।	
	इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा है जो विपक्षी तंग-तबाह करना चाहते हैं। अतएव प्रथम पक्ष के दखल- कब्जा को देखते हुए प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा घोषित किया जाता है । आदेश से विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करायें एवं आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्ष को भेजें	
	लेखापित एवं संशोधित	
	13/8/12 13/8/12	
	कार्य0 दण्डाधिकारी, अरवल । कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल ।	